

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 25 जनवरी 2018—माघ 5, शक 1939

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2018

क्रमांक एफ-3-38-2017-छब्बीस-2.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, जिनका उक्त अधिनियम की धारा 101 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र भाग दिनांक में पूर्व प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 है.

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में होगा.

(3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016);

- (ख) "बेंचमार्क दिव्यांगता" से अभिप्रेत है, चालीस प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाला कोई व्यक्ति;
- (ग) "रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 51 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र;
- (घ) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 57 के अधीन प्रमाणीकरणकर्ता प्राधिकारी;
- (ङ) "निःशक्तता प्रमाण-पत्र" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 57 के अन्तर्गत प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र;
- (च) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप;
- (छ) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;
- (ज) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा।
- (2) उन "शब्दों तथा अभिव्यक्तियों" के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु जो परिभाषित नहीं किए गए हैं के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।

3. राज्य दिव्यांगता पर अनुसंधान हेतु समिति.—

- (1) राज्य सरकार, "राज्य दिव्यांगता पर अनुसंधान हेतु एक समिति" गठित करेगी। समिति, निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—
- | | | |
|-------|---|----------|
| (एक) | राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट विज्ञान, औषधि और चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में दीर्घ अनुभवी कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति | —अध्यक्ष |
| (दो) | आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा | —सदस्य |
| (तीन) | आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | —सदस्य |
| (चार) | आयुक्त/संचालक आयुर्वेदिक, होम्योपैथी तथा यूनानी चिकित्सा | —सदस्य |

(पांच) आयुक्त, महिला एवं बाल विकास कल्याण —सदस्य

(छह) राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन या शैक्षणिक संस्थाओं
के तीन प्रतिनिधि जो अधिनियम की अनुसूची
में विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं के पांच समूह में से
किसी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं :

परन्तु इनमें से कम से कम एक महिला
प्रतिनिधि होगी।

(सात) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो दिव्यांगजन —सदस्य

(आठ) आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण —सदस्य

(नौ) संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय एवं
निःशक्तजन कल्याण —सदस्य सचिव

- (2) अध्यक्ष, किसी विषय-विशेषज्ञ को समिति की बैठक में विशेष आमंत्रिती के रूप में आमंत्रित कर सकेगा ।
- (3) नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि उनके पदधारण करने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की कालावधि के लिए होगी, किन्तु वह एक और अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे ।
- (4) किसी बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों के कम से कम आधे सदस्यों से होगी ।
- (5) गैर पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य ऐसे यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ते के हकदार होंगे जैसे कि राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को अनुज्ञेय हैं।
- (6) राज्य सरकार, समिति को लिपिकीय और अन्य कर्मचारी उपलब्ध करा सकेगी।

दिव्यांगजन अनुसंधान का विषय नहीं होगा.—

कोई दिव्यांगजन किसी अनुसंधान का विषय नहीं होगा सिवाय अनुसंधान का उसके शरीर पर भौतिक या मानसिक प्रभाव नहीं पड़ता हो ।

5. दिव्यांगजनों की दुर्व्यवहार, हिंसा एवं शोषण तथा आपदा से सुरक्षा.—

- (1) यदि कोई भी दिव्यांगजन दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण से पीड़ित पाया जाता है तो राज्य सरकार शासकीय/अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से उसे सुरक्षा, पुनर्वास की सुविधा प्रदान करेगी।
- (2) आपदा के समय दिव्यांगजनों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए राज्य एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारी दिव्यांगजनों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे।

6. दिव्यांगजनों को कानूनी सहायता एवं सीमित संरक्षकता.—

- (1) ऐसे दिव्यांगजन जो परिवार के साथ नहीं रहते हैं, यदि उनको विधिक सहायता की आवश्यकता है तो कलक्टर, जिला विधिक सहायता अधिकारी के माध्यम से विधिक सहायता उपलब्ध कराएंगे।
- (2) कलक्टर, ऐसे दिव्यांगजनों को कानूनी बाध्यता वाले प्रकरणों में निर्णय लेने में सहयोग करने हेतु सीमित संरक्षकता प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।
- (3) सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि दिव्यांगजन जो कानूनी आधार पर निर्णय लेने में असमर्थ है, संरक्षक की आवश्यकता है।
- (4) कलक्टर स्वप्रेरणा से या आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् सीमित संरक्षकता प्रदान करने के लिए त्वरित कार्रवाई करेगा :

परंतु ऐसी सीमित संरक्षकता प्रदान करने के पूर्व सीमित संरक्षक के रूप में कृत्य करने के लिए, सहमत व्यक्ति की सहमति भी प्राप्त की जाएगी। कलक्टर, द्वारा सीमित संरक्षकता की अवधि आवश्यकतानुसार निर्धारित की जाएगी।

- (5) महिला दिव्यांग के मामले में, सीमित संरक्षक कोई महिला ही होगी।
- (6) उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त सीमित संरक्षक, कानूनी कार्रवाई का निर्णय लेने के पूर्व सभी मामलों में दिव्यांगजन से परामर्श करेगा।
- (7) सीमित संरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि दिव्यांग व्यक्ति के निमित्त कानूनी तौर पर लिया गया निर्णय दिव्यांग व्यक्ति के हित में हो।

7. सामाजिक जागरूकता.—

राज्य सरकार, दिव्यांगजनों तथा आम जनता में सामाजिक जागरूकता पैदा करने हेतु नोडल अधिकारी पदाभिहित करेगी।

8. दिव्यांगजनों के लिए समेकित शिक्षा.—

(1) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी किसी भी दिव्यांग विद्यार्थी को शासकीय/अशासकीय मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने से वंचित न किया जाए। यदि ऐसा पाया जाता है तो राज्य सरकार संबंधित शिक्षण संस्था की मान्यता समाप्त कर सकेगी। इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार समुचित निर्देश जारी करके जिला शिक्षा अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकेगी। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु दिव्यांग बच्चों को समेकित शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) जिला शिक्षा अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक मान्यताप्राप्त शासकीय/अशासकीय शिक्षण संस्था का भवन दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुगम्य हो। यदि किसी शिक्षण संस्था का भवन ऐसा पाया जाता है कि वह दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुगम्य नहीं पाया जाता है तो जिला शिक्षा अधिकारी अवसर देते हुए संबंधित संस्था को एक माह का नोटिस देकर उसे बाधा रहित बनाने के लिए कहेगा और यदि समय सीमा में कार्य सम्पादित न होने पर, जिला शिक्षा अधिकारी उस संस्था की मान्यता समाप्त करने के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा करेगा।

(3) सभी शिक्षण संस्थाएं दिव्यांग विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए समुचित संख्या में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

9. समान अवसर नीति के प्रकाशन की रीति.—

(1) प्रत्येक स्थापन, दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर की नीति का प्रकाशन करेगा।

(2) स्थापन द्वारा बनाई गई समान अवसर नीति अधिमानता से अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करेगा। यदि वेबसाईट नहीं है तब वह उनके परिसर में सहजदृश्य स्थान पर उसे प्रदर्शित करेगा।

- (3) बीस कर्मचारी या उससे अधिक कर्मचारी वाले प्रायवेट स्थापन और शासकीय स्थापन की समान अवसर नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपबंध भी अंतर्विष्ट होंगे अर्थात्:-
- (क) दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं और प्रसुविधाएं जो उन्हें स्थापन में अपने कर्तव्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में समर्थ कर सकें;
- (ख) स्थापन में दिव्यांगजनों के लिए पहचाने गए समुचित पदों की सूची;
- (ग) विभिन्न पदों के लिए दिव्यांगजनों के चयन की रीति, भर्ती के पश्चात् और पदोन्नति के पूर्व प्रशिक्षण, स्थानांतरण, पद स्थापन, प्राथमिकता, विशेष अवकाश एवं आवासों के आवंटन में अधिमानता दी जाएगी तथा अन्य सुविधाएं भी सम्मिलित होंगी;
- (घ) सहायक युक्तियों, बाधामुक्त पहुंच तथा दिव्यांगजनों के लिए अन्य उपबंध;
- (ङ) नियुक्त किए गए दिव्यांगजनों की देखभाल के लिए स्थापन द्वारा सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति की हो जो ऐसे कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और प्रसुविधाओं की जांच करे।
- (4) बीस से कम कर्मचारियों वाले निजी स्थापन में समान अवसर नीति में दिव्यांगजनों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और प्रसुविधाएं अन्तर्विष्ट होंगी, ताकि वह स्थापन में अपने कर्तव्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में समर्थ हो सकें।

10. स्थापन द्वारा अभिलेखों के रखरखाव की रीति.—

- (1) प्रत्येक स्थापन, हार्ड और सॉफ्ट प्रतियों में अभिलेखों को रखेगा, जिसमें रजिस्टर के रूप में या कम्प्यूटर या टेब या किसी अन्य इलेक्ट्रानिकी प्ररूप में या किसी भी प्रकार की लिखित सूचना सम्मिलित है, चाहे वह साधारण या मशीनी भाषा में अभिव्यक्त हो और ऐसे अन्य दस्तावेज, जो

इन नियमों के प्रयोजनों के लिए उपयोगी हो सकते हों।

- (2) अभिलेखों में निम्नलिखित विशिष्टताएं अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :-
 - (क) नियोजित निःशक्तजनों की संख्या तथा उनकी नियुक्ति की तारीख;
 - (ख) नाम, लिंग एवं पता;
 - (ग) दिव्यांगता का प्रकार;
 - (घ) ऐसे दिव्यांगजनों द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रकृति; और
 - (ङ) ऐसे दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के ब्यौरे।
- (3) प्रत्येक स्थापन मांग किए जाने पर इन नियमों के अधीन रखे गए अभिलेखों को निरीक्षण के लिए अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों को उपलब्ध कराएगी तथा ऐसी सूचना प्रदान करेगी, जो यह जानने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो कि क्या उपबंधों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं ?
- (4) प्रत्येक स्थापन, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा यथा अपेक्षित किए गए अभिलेखों का सत्यापन करेगी।

11. सरकारी स्थापन द्वारा परिवाद के रजिस्टर के संधारण की रीति.-

- (1) प्रत्येक सरकारी स्थापन, राजपत्रित अधिकारी के रैंक से अन्यून अधिकारी को "शिकायत निवारण अधिकारी" के रूप में नियुक्त करेगी:
परन्तु जहां किसी राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त करना संभव न हो सरकारी स्थापन वरिष्ठतम अधिकारी को "शिकायत निवारण अधिकारी" नियुक्त करेगी।
- (2) शिकायत निवारण अधिकारी इस प्रयोजन के लिए शिकायतों का एक रजिस्टर और विनिर्दिष्ट रूप से इस प्रयोजन के लिए साफ्ट कॉपी रखेगा तथा प्रत्येक शिकायत रजिस्टर के एक पृथक् पृष्ठ पर प्रविष्टि करेगा।

- (3) शिकायत निवारण अधिकारी, रजिस्टर में निम्नलिखित विशिष्टियां उल्लिखित करेगा, अर्थात् :-
- (क) शिकायत दर्ज करने की तारीख;
 - (ख) शिकायतकर्ता का नाम;
 - (ग) शिकायत की जांच कर रहे व्यक्ति का नाम;
 - (घ) घटना का स्थान;
 - (ङ) स्थापन अथवा व्यक्ति का नाम जिसके विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई है;
 - (च) शिकायत का सारांश;
 - (छ) कोई अतिरिक्त जानकारी;
 - (ज) दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो;
 - (झ) शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा शिकायत निराकरण की तारीख;
 - (ञ) दिव्यांगता के लिए गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा अपील के निराकरण के ब्यौरे ; और
 - (च) कोई अन्य जानकारी।

12. रोजगार हेतु आरक्षण.-

- (1) प्रत्येक सरकारी स्थापन में दिव्यांगजनों के नियोजन हेतु 6 प्रतिशत आरक्षण रहेगा। आरक्षण निम्न प्रवर्गों के लिए रहेगा :-
- (क) दृष्टिबाधित और कमदृष्टि;
 - (ख) बहरे और कम सुनने वाले;
 - (ग) लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी;
 - (घ) ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी;
 - (ङ) खंड (क) से (घ) के तहत व्यक्तियों की बहुविकलांगता।

- (2) राज्य सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए समस्त विभागों को विस्तृत अनुदेश जारी करेगा।

13. रिक्तियों की संगणना.—

- (1) रिक्तियों की संगणना के प्रयोजन के लिए, रिक्तियों की कुल संख्या का छह प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा बेंचमार्क दिव्यांगताओं के लिए गणना में लिया जाएगा;
- (2) अधिनियम की धारा 34 के उपबंधों के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगता का प्रकार निम्नानुसार है :—
- (क) दृष्टिबाधित और कमदृष्टि;
- (ख) बहरे और कम सुनने वाले;
- (ग) लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी;
- (घ) ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी;
- (ङ.) खंड (क) से (घ) के अधीन व्यक्तियों की बहुविकलांगता
- (3) प्रत्येक सरकारी स्थापन, बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए कैंडर संख्या में रिक्तियों की संगणना करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार एक रिक्ति आधारित रोस्टर रखेगा।
- (4) रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करते समय प्रत्येक सरकारी स्थापन अधिनियम की धारा 34 के उपबंधों के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगताओं के साथ प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या को उपदर्शित करेगा।
- (5) अधिनियम की धारा 34 के उपबंधों के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण क्षैतिजिक (**Horizontal**) होगा और बेंचमार्क दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए रिक्तियों को पृथक् वर्ग के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा।

(6) राज्य सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए समस्त विभागों को विस्तृत अनुदेश जारी करेगा।

14. रिक्तियों की अदला-बदली.-

सरकारी स्थापन, अधिनियम की धारा 34 के उपबंधों के अनुसार रिक्तियों की अदला-बदली केवल तब करेगा जब भर्ती की सम्यक प्रक्रिया जैसे बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करने का अनुसरण किया गया हो और भर्ती प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् कोई आवेदक उपलब्ध हुआ हो।

15. विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना.-

- (1) प्रत्येक सरकारी स्थापन, स्थानीय विशेष रोजगार कार्यालय को दिव्यांगजन नियुक्ता विवरणी प्ररूप 1 में (पीडीईआर) प्रत्येक छह माह में एक बार तथा प्ररूप दो में प्रत्येक दो वर्ष में एक बार विवरणियां प्रस्तुत करेगा।
- (2) विवरणी को संबंधित तारीख से तीस दिन के भीतर, जो कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31 मार्च और 30 सितम्बर को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (3) द्विवार्षिक विवरणी को प्रत्येक आनुकल्पिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीस दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा:

परन्तु प्रथम द्विवार्षिक विवरणी (2017), 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत करेगा।

16. नियोक्ता द्वारा अभिलेख को रखे जाने का प्ररूप.-

सरकारी स्थापन का प्रत्येक नियोक्ता (पीडीईआर) प्ररूप तीन में दिव्यांग कर्मचारियों के अभिलेख रखेगा।

17. पदों के चिन्हांकन हेतु समिति.-

दिव्यांगों के पदों के चिन्हांकन एवं उससे सुसंगत परिवादों के निराकरण हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(एक)	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	—अध्यक्ष
(दो)	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	—सदस्य
(तीन)	प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग	—सदस्य
(चार)	प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	—सदस्य
(पांच)	आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	—सदस्य—सचिव

18. निजी क्षेत्र में नियोजकों को प्रोत्साहन (इनसेटिव).—

राज्य सरकार, निजी क्षेत्रों के नियोजकों, जिन्होंने कम से कम 5 प्रतिशत तक कुल दिव्यांगजनों का नियोजन किया है, को प्रोत्साहन (इनसेटिव) देने के लिए अनुदेश जारी करेगी।

19. विशेष रोजगार कार्यालय.—

प्रत्येक स्थापन उनके नियोजन में दिव्यांगजनों से संबंधित रिक्तियों एवं नियोजित किए गए दिव्यांगजनों की सूचना और विवरणी विशेष रोजगार कार्यालय को उपलब्ध कराएगा। सामान्य प्रशासन विभाग इस संबंध में सभी विभागों को विस्तृत अनुदेश जारी करेगा।

20. सुगम्यता हेतु नियम.—

(1) नगरीय प्रशासन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, रेल्वे एवं लोक निर्माण विभाग अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सड़कों एवं भवनों को सुगम बनाने हेतु निम्नांकित उपबंधों को करना सुनिश्चित करेंगे। अन्य संबंधित विभाग जो अधोसंरचना का उपयोग कर रहे हों, वे भी जिम्मेदार होंगे;

(क) सड़क

(एक) दिव्यांगजनों के लिए सड़कों पर, लाल बत्तियों पर श्रवण संकेतों का और दृष्टिबाधित के लिए आवश्यक संकेतों को प्रदर्शित करना;

- (दो) व्हील चेयर का उपयोग करने वाले दिव्यांगजनों की सहज पहुंच के लिए सीढ़ियां;
- (तीन) दृष्टिहीन या कम दृष्टिवाले व्यक्तियों के लिए जैब्रा क्रासिंग की सतहों को उत्कीर्ण करना;
- (चार) दृष्टिहीन या कम दृष्टिवाले व्यक्तियों के लिए रेल्वे प्लेटफार्म के किनारे को उत्कीर्ण करना ;
- (पांच) दिव्यांगता के समुचित प्रतीकों को विकसित करना;
- (छह) समुचित स्थानों पर चेतावनी संकेतों को लगाना।
- (ख) निर्मित भवनों में—
- (एक) सार्वजनिक भवनों में रैम्प बनाना;
- (दो) शौचालयों को व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाना;
- (तीन) लिफ्ट में ब्रेल प्रतीक और श्रवण संकेत लगाना;
- (चार) अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अन्य चिकित्सीय देखभाल और पुनर्वास स्थानों पर रैम्प की व्यवस्था बनाना;
- (पांच) शासकीय कार्यालयों में निःशक्तजनों की पहुंच को बाधरहित बनाना।

21. सुगम्य सूचना एवं प्रौद्योगिकी.—

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर राज्य सरकार, आडियो, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में दिव्यांगजनों के प्रवेश को सुगम्य करने की कार्रवाई करेगा।

22. अशासकीय संस्थाओं की मान्यता.—

- (1) अधिनियम की धारा 51 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण द्वारा नामांकित अधिकारी, अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत स्थापित की जाने वाली संस्थाओं के रजिस्ट्रिकरण के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी होगा।

- (2) संबंधित गैर-सरकारी संस्था फार्म-ए में संबंधित जिले के संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण को आवेदन करेंगे।
- (3) आवेदन के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करने होंगे:-
- (एक) दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य के दस्तावेजी साक्ष्य;
- (दो) संस्थाओं को शासित करने वाला संविधान, उप-विधियां विनियम ;
- (तीन) विगत तीन वर्षों का वार्षिक प्रतिवेदन, सी.ए. का ऑडिट प्रतिवेदन, विगत 3 वर्षों में प्राप्त वार्षिक अनुदान ;
- (चार) संस्था में नियोजित व्यक्तियों के नाम उनकी शैक्षणिक अर्हता एवं उनकी कुल संख्या तथा उनके अपने-अपने कर्तव्यों और संदत्त किए जा रहे मानदेय के बारे में जानकारी;
- (पांच) संस्था में नियोजित विशेषज्ञों की संख्या, उनके नाम तथा उनकी शैक्षणिक अर्हताएं/अर्हता संबंधी जानकारी;
- (छह) आवेदक के निवास संबंधी प्रमाण उसका ई-मेल, दूरभाष, मोबाइल नम्बर, वेबसाइट के बारे में जानकारी।
- (4) प्रत्येक संस्था जिसने उप-नियम (1) के अधीन आवेदन दिया है, संस्था के संबंध में निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी :-
- (क) यहकि आवेदन प्रस्तुत करने के तत्काल पूर्व संस्था तीन वर्ष से अधिक समय से दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य कर रही है;
- (ख) यहकि संस्था भारतीय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 या राज्य में तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, और आवेदन के साथ ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति, समिति की उप-विधि, और मेमोरेन्डम आफ एसोसिएशन को प्रति प्रस्तुत की जाएगी;
- (ग) यहकि संस्था किसी व्यक्तिगत या व्यक्तिगत लोगों के निकाय के लाभ के लिए नहीं चल रही है;

- (घ) यहकि संस्था में दिव्यांग बच्चों को भोजन देने और अन्य विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद् से रजिस्ट्रीकृत पेशेवरों की नियुक्त की हो;
- (ङ) यहकि संस्था में दिव्यांगजनों के लिए पर्याप्त शिक्षण एवं सीखने की सामग्री उपलब्ध है;
- (च) यहकि संस्था ने अपने विगत तीन वर्षों की संपरीक्षित लेखों और वार्षिक रिपोर्ट, सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दी है;
- (5) संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, आवेदन प्राप्ति के पश्चात् 30 दिनों के भीतर संस्था के कार्यकलापों की जांच करेगा और विस्तृत निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करेगा। तत्पश्चात् संबंधित जिले के कलक्टर की अनुशंसा सहित, प्रस्ताव प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
- (6) आवेदन प्राप्ति के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी आवश्यक जांच और समाधान के पश्चात्, अधिनियम की धारा 50 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
- (7) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, जारी होने की तारीख से 3 वर्ष के लिए विधिमान्य रहेगा, किन्तु स्वैच्छिक संस्था सक्षम प्राधिकारी को प्रतिवर्ष किए गए कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (8) संस्था को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण हेतु, रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति के 60 दिनों के पूर्व आवेदन करना होगा।

23. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार करना.—

सक्षम प्राधिकारी, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर सकेगा। ऐसे आदेश में ऐसे प्रमाण-पत्र को देने से इंकार करने के विशिष्ट कारण अंतर्विष्ट होंगे और आवेदक को तदनुसार रजिस्ट्रीकृत डाक से सूचित किया जाएगा।

24. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता.—

अधिनियम की धारा 50 के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र 3 वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य करेगा। जब तक कि उसे अधिनियम की धारा 52 के अधीन निरस्त न कर दिया गया हो।

25. सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील.—

सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र देने से इंकार करने या रजिस्ट्रीकरण निरस्त करने के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, 30 दिन की कालावधि के भीतर ऐसे इंकार करने या रजिस्ट्रीकरण निरस्त करने के विरुद्ध, प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग को अपील कर सकेगा।

26. प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करना.—

(1) शासकीय चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी होंगे। संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त चिकित्सालयों के लिए अलग-अलग प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करेंगे।

(2) राज्य सरकार का लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इस संबंध में विस्तृत अनुदेश जारी करेगा।

27. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन.—

(1) विनिर्दिष्ट दिव्यांगताग्रस्त कोई व्यक्ति दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करेगा और आवेदन निम्नलिखित को प्रस्तुत करेगा:—

(क) कोई चिकित्सा प्राधिकारी या कोई अन्य अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी आवेदक के निवास के जिले में जैसाकि आवेदन के निवास के सबूत के रूप में यथा वर्णित या अनुसूची-एक में यथा वर्णित कोई प्राधिकारी ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(ख) किसी सरकारी अस्पताल में, संबंधित चिकित्सा प्राधिकारी जिसमें उसने अपनी दिव्यांगता के संबंध में वह उपचार करा रहा हो या उसने उपचार कराया हो:

परन्तु जहां कोई दिव्यांगजन अवयस्क है या बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त है या किसी ऐसी दिव्यांगता से ग्रस्त है जो उसे स्वयं ऐसा आवेदन करने में असमर्थ बनाती हो तो उसके निमित्त आवेदन उसके विधिक अभिभावक या अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसे संगठन

द्वारा किया जा सकेगा जिसकी देखभाल के अधीन उक्त दिव्यांगजन हो।

- (2) आवदेन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे :-
- (क) आवास का सबूत;
 - (ख) दो नवीनतम पासपोर्ट साइज के छायाचित्र ; और
 - (ग) आधार नम्बर अथवा आधार नामांकन क्रमांक, यदि कोई हो।

28. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र का जारी किया जाना.-

- (1) आवदेन प्राप्त होने पर चिकित्सा प्राधिकारी, या अन्य अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी आवदेक द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन करेगा और केन्द्र सरकार द्वारा जारी सुसंगत मार्गदर्शक सिद्धांतों के निबंधनों में दिव्यांगता का निर्धारण करेगा तथा स्वयं का यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आवदेक दिव्यांगजन है, विहित प्ररूप में उसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
- (2) चिकित्सा प्राधिकारी, आवदेन की प्राप्ति की तारीख से एक माह के भीतर दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
- (3) चिकित्सा प्राधिकारी सम्यक् परीक्षण के पश्चात्:-
- (क) उन मामलों में स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करेगा जहां दिव्यांगता की मात्रा में समय के साथ परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है; अथवा
 - (ख) उन मामलों में जहां समय के साथ दिव्यांगता के स्तर में परिवर्तन की संभावना है, अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करेगा और विधिमान्यता की अवधि उपदर्शित करेगा।
- (4) यदि कोई आवदेक उसे दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए पात्र नहीं पाया जाता है तो चिकित्सा प्राधिकारी, आवदेन की प्राप्ति की तारीख से एक माह की कालावधि के भीतर उसे लिखित में कारणों से सूचित करेगा।

29. जारी किया गया प्रमाण-पत्र साधारणतः सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य होगा.—

कोई व्यक्ति, जिसे दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, जारी किया गया है, सरकार की योजनाओं और वित्त पोषित गैर सरकारी संस्थाओं की योजनाओं के अधीन सुविधाओं, रियायतों और लाभों को जो दिव्यांगजनों को अनुज्ञेय हैं, विधिमान्य होगी। ऐसे व्यक्ति ऐसी शर्तों के अधीन, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट उपयुक्त योजनाओं या अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हैं, आवेदन देने के लिए समर्थ होगा।

30. अपील.—

प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति नब्बे दिवस के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अपील को अधिमान कर सकेगा।

31. राज्य सलाहकार बोर्ड.—

(1) अधिनियम की धारा 66 की उप धारा (2) उपबंधों के अनुसार, राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन निम्नानुसार किया जाएगा :—

- | | | |
|--------|---|-----------|
| (एक) | मंत्री, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण | अध्यक्ष |
| (दो) | राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण | उपाध्यक्ष |
| (तीन) | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, शिक्षा, उच्च शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, वित्त, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम, उद्योग, रोजगार, नगरीय विकास, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण, परिवहन, लोक निर्माण, तकनीकी शिक्षा विभाग | सदस्य |
| (चार) | राज्य विधान मण्डल के तीन सदस्य जिनमें कम से कम दो महिला सदस्य होगी | सदस्य |
| (पांच) | सदस्यों के निम्नलिखित प्रवर्ग राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे— | सदस्य |

- पांच विशेषज्ञ दिव्यांगजनों के पुनर्वास एवं कल्याण के क्षेत्र में विशेषज्ञ
- दिव्यांगजनों के पुनर्वास एवं कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत पांच सदस्य पांच जिलों का प्रतिनिधित्व (चक्रानुक्रम में प्रतिनिधित्व)
- दस दिव्यांग जिन्होंने विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की हो, जिसमें कम से कम पांच महिलाएं होंगी
- स्टेट चेम्बर आफ कामर्स उद्योग के तीन प्रतिनिधि

(छह) आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं सदस्य-सचिव निःशक्तजन कल्याण

(2) अधिनियम की धारा 66 की उप धारा (2) के खण्ड (ड) के उप खण्ड (दो) के अधीन जिलों से चक्रानुक्रम द्वारा पांच सदस्यों की नामांकन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-

- (एक) जिलों को, दिव्यांगजन जनगणना की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा।
- (दो) पांच जिलों का चयन किया जाएगा जहां दिव्यांगजन की जनसंख्या सर्वाधिक है तथा पांच सदस्य पहली बार में नामांकित होंगे, जो बोर्ड में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् सर्वाधिक दिव्यांगजन आबादी वाले अन्य जिलों का चयन किया जाएगा। नामांकन की प्रक्रिया तब तक निरंतर रहेगी जब तक समस्त जिलों का प्रतिनिधित्व पूर्ण नहीं हो जाता।
- (तीन) उपरोक्त जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
- (चार) सदस्यों का चयन संबंधित जिले के कलेक्टर की अनुशंसा पर किया जाएगा।

32. सदस्यों की निबंधन और शर्तें.—

- (1) राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य अपने नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेंगे;
- (2) राज्य सरकार, यदि वह ठीक समझे तो किसी नामनिर्देशित सदस्य को उसकी पदावधि की समाप्ति के पूर्व, उसे उसके विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात्, हटा सकेगी;
- (3) नामनिर्देशित कोई सदस्य, राज्य सरकार को लिखित में हस्ताक्षर द्वारा, किसी भी समय पद त्याग कर सकेगा;
- (4) राज्य सलाहकार बोर्ड में कोई आकस्मिक रिक्ति, नए नामनिर्देशित सदस्य द्वारा भरी जाएगी और रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्देशित व्यक्ति उस शेष अवधि के लिए ही पद धारण करेगा; जिसके लिए वह व्यक्ति पद धारण करता जिसके स्थान पर वह नामनिर्देशित हुआ है.

33. सदस्यों के भत्ते.—

- (1) राज्य सलाहकार बोर्ड के गैर-शासकीय सदस्यों को वास्तविक बैठक के प्रत्येक दिन के लिए रूपए एक हजार भत्ते का संदाय किया जाएगा।
- (2) राज्य सलाहकार बोर्ड के गैर-पदेन सदस्यों को, जो भोपाल में निवास नहीं कर रहे हैं, वास्तविक यात्रा व्यय, या वास्तविक किराया जो रेल के द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित किराए से अधिक नहीं होगा।

34. निरहंताएं.—

- (1) ऐसा कोई व्यक्ति, राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य नहीं होगा, जो—
 - (क) दिवालिया हो या किसी समय सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया न्यायनिर्णित किया गया है या जिसने अपने ऋणों का संदाय निलंबित कर दिया है या अपने लेनदारों के साथ समझौता कर लिया है; या
 - (ख) विकृतचित्त का हो और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है; या

- (ग) किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता हो या ठहराया गया हो जिसमें राज्य शासन की राय में नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है; या
- (घ) किसी समय अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया है या गया हो; या
- (ङ) जिसने राज्य सरकार की राय में सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया हो कि उसका राज्य सलाहकार बोर्ड में बने रहना जनसाधारण के हितों के प्रतिकूल हो;
- (2) राज्य सरकार द्वारा हटाए जाने का आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित सदस्य को उसके विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर न दे दिया गया हो;
- (3) कोई सदस्य जो इस नियम के अधीन हटाया गया है सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्देशन का पात्र नहीं होगा।

35. बैठकों की सूचना.—

- (1) राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक सामान्यतः राज्य मुख्यालय पर ऐसी तारीखों पर होगी, जैसी कि अध्यक्ष द्वारा नियत की जाए।
- (2) बोर्ड की बैठक प्रत्येक छह माह में कम से कम एक बार होगी। बोर्ड का अध्यक्ष, बोर्ड के 10 सदस्यों से अन्यून के लिखित अनुरोध पर बोर्ड की विशेष बैठक बुला सकेगा।
- (3) बोर्ड का सदस्य सचिव सदस्यों को ऐसी बैठक आयोजित की जाने की सूचना बैठक के सात दिवस पूर्व जिसमें स्थान, समय, तारीख तथा उसमें किए जाने वाले कार्य को विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (4) राज्य सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष अपरिहार्य कारणों से बैठक को स्थगित कर सकेगा।

36. गणपूर्ति.—

- (1) किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति बोर्ड के कुल सदस्यों के न्यूनतम एक तिहाई सदस्यों से होगी।
- (2) यदि किसी बैठक के लिए नियत समय या बैठक के दौरान कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई से कम सदस्य उपस्थित हैं, तो अध्यक्ष बैठक किसी अन्य ऐसे समय के लिए या तारीख के लिए स्थगित कर सकेगा, जैसा कि वह नियत करे।
- (3) बोर्ड की स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

37. बैठक के कार्यवृत्त.—

- (1) सदस्य सचिव, बैठक की कार्यवृत्त पुस्तिका रखेगा जिसमें बोर्ड के सभी सदस्यों के नाम तथा उनके हस्ताक्षर होंगे जिन्होंने बैठक में भाग लिया और इसमें बैठक की कार्यवाहियों के ब्यौरे भी संधारित किए जाएंगे।
- (2) बोर्ड की आगामी प्रत्येक बैठक में, पिछली बैठक का कार्यवृत्त प्रारम्भ में पढ़ा जायेगा तथा ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने वाले पीठासीन अधिकारी द्वारा पुष्टि की जाएगी तथा ऐसी बैठक के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

38. बैठक में किए जाने वाले कार्यवृत्त का संव्यवहार.—

- (1) अध्यक्षता करने वाले अधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय, कोई भी कारबार जो कार्यसूची में सम्मिलित न हो या जिसके संबंध में सदस्य द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई हो, किसी बैठक में संव्यवहार नहीं किया जाएगा।
- (2) प्रत्येक बैठक में कार्यवृत्त का संव्यवहार उसी क्रम में होगा जिस क्रम में उसे कार्यसूची में सम्मिलित किया गया है, जब तक कि अध्यक्ष की अनुज्ञा से बैठक में अन्यथा संकल्प पारित न किया गया हो।

39. बहुमत से विनिश्चय.—

बोर्ड की बैठक में विचार हेतु लिए गए समस्त प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों के बहुमत तथा मतदान के आधार पर विनिश्चय किए जाएंगे

और मतों के एक समानता के मामले में यथास्थिति, अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का मत निर्णायक होगा।

40. बोर्ड के गठन में किसी कमी के दौरान कोई कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी.—

बोर्ड की कोई भी कार्यवाही केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने या बोर्ड के संगठन की किसी कमी जैसे कारणों से अविधिमान्य नहीं होगी।

41. राज्य सलाहकार बोर्ड के कृत्य.—

राज्य सलाहकार बोर्ड निम्नानुसार कृत्य करेगा

- (1) दिव्यांगजनों के लिए नीति निर्धारण, कार्यक्रम, योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार को सलाह देना।
- (2) दिव्यांगजनों हेतु राज्य नीति को विकसित करना।
- (3) दिव्यांगजनों से संबंधित कार्रवाई के लिए विभिन्न विभागों की समीक्षा एवं समन्वय करना।
- (4) दिव्यांगजनों के लिए नवीन कार्यक्रमों को तैयार करना।
- (5) दिव्यांगजनों हेतु बाधारहित वातावरण, उचित आवास, समानता के संदर्भ में कार्रवाई करना।
- (6) नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का मूल्यांकन।
- (7) अन्य कोई मामला, यदि आवश्यक हो।

42. जिला स्तरीय समिति.—

जिला स्तरीय समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी;

- | | | |
|--------|--|----------|
| (एक) | संबंधित जिले के कलक्टर | —अध्यक्ष |
| (दो) | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत | —सदस्य |
| (तीन) | सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | —सदस्य |
| (चार) | जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक | —सदस्य |
| (पांच) | महाप्रबंधक, उद्योग | —सदस्य |

- | | | |
|----------|--|-------------|
| (छह) | परियोजना अधिकारी, शहरी विकास | —सदस्य |
| (सात) | जिला रोजगार अधिकारी | —सदस्य |
| (आठ) | जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी | —सदस्य |
| (नौ) | दिव्यांगता के कल्याण से संबद्ध स्वैच्छिक संस्थाओं के दो प्रतिनिधि | —सदस्य |
| (दस) | जिला निःशक्त पुनर्वास केन्द्र के प्रतिनिधि | —सदस्य |
| (ग्यारह) | ऐसे दो प्रतिष्ठित निःशक्तजन जिन्होंने किसी क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की हो | —सदस्य |
| (बारह) | संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण। | —सदस्य—सचिव |

- (2) जिला स्तरीय समिति, दिव्यांगजनों को हो रही समस्याओं का समाधान करेगी तथा समस्त शासकीय विभागों/अशासकीय संगठनों से समन्वय कर समग्र पुनर्वास के लिए कार्रवाई करेगी और की गई कार्रवाई की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन करेगी।

43. जिला स्तरीय समिति के कृत्य.—

- (एक) जिले की दिव्यांग कल्याण वार्षिक योजना का अनुमोदन करना।
- (दो) समग्र पोर्टल पर दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित जानकारी को अद्यतन करना।
- (तीन) दिव्यांगजनों को जिले में जारी किए गए यूडीआईडी कार्ड का पुनर्विलोकन करना।
- (चार) दिव्यांगजनों के कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं में के अधीन हितग्राहियों का पुनर्विलोकन करना।
- (पांच) शासकीय सेवा में आरक्षण के अनुसार दिव्यांगों की नियुक्ति सुनिश्चित करना।
- (छह) दिव्यांगजनों को दी गई सुविधाओं का स्पर्श समग्र पोर्टल पर अपलोड किया जाना।

- (सात) जिले में दिव्यांगजनों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत अशासकीय संस्थाओं के कार्यों का पुनर्विलोकन करना।
- (आठ) इस अधिनियम से संबंधित समस्त विभागों की गतिविधियों का त्रैमासिक पुनर्विलोकन करना।
- (नौ) निःशक्त विद्यार्थियों की शिक्षा की प्रगति एवं उनकी समस्याओं के समाधान का पुनर्विलोकन करना।
- (दस) जिला निःशक्त पुनर्वास केन्द्र के वार्षिक कार्ययोजना का पुनर्विलोकन करना।
- (ग्यारह) बाधरहित वातावरण को समय-सीमा में कराए जाने का पुनर्विलोकन एवं समस्या समाधान करना।
- (बारह) शीघ्र पहचान, हस्तक्षेप एवं उपचार का पुनर्विलोकन करना।
- (तेरह) दिव्यांगजनों हेतु दिए गए बजट के उपयोग का पुनर्विलोकन एवं आडिट का पुनर्विलोकन करना।
- (चौदह) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कार्यों का पुनर्विलोकन करना।

44. दिव्यांगजनों के लिए आयुक्त.—

राज्य सरकार, दिव्यांगजनों के लिए आयुक्त की नियुक्ति करेगी।

45. आयुक्त, निःशक्तजन की नियुक्ति के लिए अर्हताएं.—

आयुक्त, निःशक्तजन के रूप में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति अर्हित होगा यदि

- (क) उनके पास दिव्यांगजन व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो;
- (ख) आयुक्त, निःशक्तजन की नियुक्ति के आवेदन के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में यथा विनिर्दिष्ट आवेदनों की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि वाले वर्ष में पहली जनवरी को उसने बासठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो;
- (ग) वह केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन सेवा में हो तो वह पद पर उनकी नियुक्ति से पूर्व ऐसी सेवा से सेवानिवृत्ति की मांग करेगा;

- (घ) केन्द्र सरकार की अखिल भारतीय सेवा, एवं राज्य सरकार की सिविल सेवाओं के सेवानिवृत्त ऐसे अधिकारी जिन्हें दिव्यांगता के क्षेत्र में नीति निर्धारण एवं प्रशासन का अनुभव हो;
- (ङ.) उनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात्:-

(क) शैक्षणिक अर्हताएं.

(एक) अनिवार्य— किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक;

(दो) वांछनीय— सामाजिक कार्य या विधि या प्रबंधन या मानव अधिकारों या दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास या शिक्षा में मान्यताप्राप्त उपाधि या डिप्लोमा;

(ख) अनुभव—दिव्यांगजनों के पुनर्वास या सशक्तिकरण या समाज सेवा के क्षेत्र में कम से कम अठारह वर्ष का अनुभव हो।

(एक) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कार्य अनुभव ; या

(दो) सार्वजनिक उपक्रम या अर्द्ध शासकीय या ऐसे स्वशासी निकाय जो दिव्यांगता मामलों या सामाजिक सेक्टर से संबंधित हों; या

(तीन) राज्य या राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय पंजीकृत तथा दिव्यांगता या सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठन में एक वरिष्ठ स्तर के अधिकारी की हैसियत में कार्य किया हो :

परन्तु, इस उप-खण्ड में उल्लिखित कुल अठारह वर्षों के अनुभव में से कम से कम विगत तीन वर्षों में दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास या सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो।

46. आयुक्त, निःशक्तजन के लिए निरर्हताएं.—

कोई ऐसा व्यक्ति आयुक्त, निःशक्तजन के पद के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह—

- (क) दिवालिया हो या किसी समय दिवालिया घोषित किया गया हो; या
- (ख) व्यक्ति जो विकृत चित्त का हो तथा सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया हो; या
- (ग) व्यक्ति जो ऐसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जो राज्य सरकार की राय में नैतिक मूल्यों के विरुद्ध हो; या
- (घ) व्यक्ति जो किसी अपराध के लिए दोषी पाया गया हो; या अपराधी घोषित किया गया हो ;
- (ङ) व्यक्ति जिसने राज्य आयुक्त, निःशक्तजन के रूप में शक्ति का दुरुपयोग किया हो तथा दोषी पाया गया हो तथा उसकी सेवाएं लोकहित के विरुद्ध हो;
- (च) उसने आयुक्त, निःशक्तजन के रूप में दो कार्यकाल पूर्ण कर लिए हों।

47. आयुक्त, निःशक्तजन की पदावधि.—

आयुक्त, निःशक्तजन की पदावधि तीन वर्ष के लिए होगा।

48. आयुक्त, निःशक्तजन का मुख्यालय.—

आयुक्त, निःशक्तजन का मुख्यालय भोपाल में होगा।

49. आयुक्त, निःशक्तजन को वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं.—

- (1) आयुक्त, निःशक्तजन को ऐसे वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाओं का हकदार होगा जैसेकि राज्य सरकार का सचिव हकदार है।
- (2) जहां कोई आयुक्त, निःशक्तजन शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी हो, सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अंतिम वेतन से पेंशन घटाने पर जो राशि होगी, वह मानदेय के रूप में देय होगी।

50. आयुक्त, निःशक्तजन की नियुक्ति की प्रक्रिया.-

- (1) राज्य सरकार, आयुक्त, निःशक्तजन के चयन हेतु प्राप्त आवेदनों से एक पैनल प्रस्तावित करने के लिए एक सर्च कमेटी गठित करेगी। सर्च कमेटी में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

- (क) मुख्य सचिव द्वारा नामांकित अपर मुख्य सचिव श्रेणी का कोई अधिकारी - अध्यक्ष
- (ख) प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग - सदस्य
- (ग) प्रमुख सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण - सदस्य
- (घ) आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण - सदस्य-सचिव

- (2) आयुक्त, निःशक्तजन के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

- (क) आयुक्त, निःशक्तजन के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने हेतु आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा विज्ञापन जारी किया जाएगा। विज्ञापन दो राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के दैनिक समाचार पत्र, जिसमें से कम से कम एक अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित होना चाहिए।
- (ख) प्राप्त आवेदनों को राज्य सरकार द्वारा, गठित सर्च कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- (ग) राज्य सरकार सर्च कमेटी की अनुशंसा पर आयुक्त, निःशक्तजन की नियुक्ति करेगी तथा इस मामले में कोई अपील नहीं होगी।
- (घ) सर्च कमेटी की बैठक की प्रक्रियाएं गोपनीय होंगी तथा इस संबंध में कोई पत्राचार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (ङ) यदि राज्य सरकार, आयुक्त, निःशक्तजन के पद के लिए किसी भी व्यक्ति को उपयुक्त नहीं पाती है तो चयन प्रक्रिया पुनः दोहराई जाएगी।

51. त्याग-पत्र और पद से हटाया जाना.—

- (1) आयुक्त, निःशक्तजन अपने हाथ से लिखित पत्र द्वारा राज्य सरकार को सम्बोधित कर पद त्याग सकेगा।
- (2) राज्य सरकार, आयुक्त, निःशक्तजन के पद से किसी व्यक्ति को तब हटा सकती है जब वह :—
 - (क) दिवालिया हो गया हो; या
 - (ख) कोई शिकायत प्राप्त होने पर जांच पश्चात् उसे दोषी पाए, जाने पर; या
 - (ग) प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करता या विलंब से प्रस्तुत करता है या राज्य सरकार की यह राय है कि वह कर्तव्यों का समुचित रूप से निर्वहन नहीं कर रहा है अथवा कर्तव्यों के निर्वहन में कोई चूक होने पर;
 - (घ) अन्य कोई कारण, जो राज्य सरकार उचित समझे।

52. आयुक्त, निःशक्तजन को हटाए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी.— राज्य सरकार, आयुक्त, निःशक्तजन को उसकी पदावधि समाप्ति होने के पूर्व पद से हटाये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगी।

53. आयुक्त, निःशक्तजन का रिक्ति पद .— आयुक्त, निःशक्तजन का पद रिक्त होने की दशा में, प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण प्रभारी आयुक्त, निःशक्तजन होंगे।

54. आयुक्त, निःशक्तजन के कार्यालय हेतु कर्मचारिवृंद.—

- (1) आयुक्त, निःशक्तजन के कार्यालय हेतु आवश्यक कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (2) कर्मचारिवृंद आयुक्त, निःशक्तजन के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे।

55. अवशिष्ट उपबंध.— आयुक्त, निःशक्तजन की सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में, अधिनियम की धारा 79 में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किए गए हैं, ये नियमों और आदेशों द्वारा निर्धारित होंगे।

56. वार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना.—

(1) आयुक्त, निःशक्तजन द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत पश्चात् राज्य सरकार, को वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा जिसमें उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान क्रियाकलापों का सही और पूर्ण विवरण देगा।

(2) वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित विषयों में से प्रत्येक के संबंध में सूचना अंतर्विष्ट होगी, अर्थात् :—

(क) आयुक्त, निःशक्तजन कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम और संगठनात्मक स्थापन प्रदर्शित करने वाला एक चार्ट;

(ख) अधिनियम की धारा 75 और 76 के अधीन कृत्य, जो आयुक्त, निःशक्तजन द्वारा निर्वहन करने के लिए सशक्त होंगे और इस संबंध में अन्य महत्वपूर्ण विषयों का निष्पादन;

(ग) आयुक्त, निःशक्तजन द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें;

(घ) अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के पश्चात् राज्य में की गई प्रगति;

(ङ) आयुक्त, निःशक्तजन द्वारा सम्मिलित किए गए किसी अन्य विषय और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए गए विषय से संबंधित जानकारी।

57. विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति.—

(1) विशेष लोक अभियोजक प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार नियुक्त किए जाएंगे —

(क) जिसे दिव्यांगजनों के मामलों को निपटने का व्यवहारिक अनुभव हो ;

(ख) जिनके पास न्यायालय में वकालत का सात वर्षों से अन्यून का अनुभव हो ;

- (ग) जिनके पास स्थानीय भाषा एवं रीति-रिवाजों का ज्ञान हो ;
- (2) अधिनियम की धारा 85 के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष लोक अभियोजक ऐसी फीस या पारिश्रमिक प्राप्त करने के हकदार होंगे जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लोक अभियोजक को सत्र न्यायालय के समक्ष प्रकरण के संचालन करने हेतु अनुज्ञेय है।

58. राज्य निधि का प्रबंधन.-

- (1) राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए एक राज्य निधि का गठन किया जाएगा तथा जिसमें निम्नलिखित जमा की जाएगी
- (क) अनुदान, दान, उपहार, लाभ, वसीयत या स्थानान्तरण के माध्यम से प्राप्त सभी राशियां ;
- (ख) राज्य सरकार से प्राप्त समस्त राशि जिसमें सहायता अनुदान भी सम्मिलित है ;
- (ग) अन्य स्रोतों से प्राप्त समस्त राशि जैसे कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए।
- (2) राज्य निधि के लेखा एवं रिकार्ड व्यवस्थित रखे जाएंगे जिसमें आय एवं व्यय के विवरण सम्मिलित होंगे।
- (3) राज्य निधि का प्रतिवर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षण किया जाएगा।
- (4) राज्य निधि के प्रबंधन हेतु निम्न समिति होगी:-
- (एक) प्रमुख सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण अध्यक्ष
- (दो) प्रमुख सचिव, वित्त, लोक स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, श्रम, उद्योग, नगरीय प्रशासन, महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सदस्य

- | | | |
|--------|---|------------|
| (तीन) | विभिन्न निःशक्तताओं का प्रतिनिधित्व हेतु संबंधित निःशक्तता के दो व्यक्ति/संस्था जो चक्रानुक्रम से राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड में नामांकित हों (रोटेशन अनुसार) | सदस्य |
| (चार) | राष्ट्रीय न्यास के स्टेट नोडल एजेंसी संस्था | सदस्य |
| (पांच) | आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण | सदस्य—सचिव |

- (5) समिति की बैठकें समय-समय पर प्रायः आवश्यकतानुसार होंगी, परन्तु प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार बैठके होना अनिवार्य है।
- (6) समिति का कोई भी सदस्य ऐसी सदस्यता धारित करने के दौरान निधि का लाभार्थी नहीं होगा।
- (7) नामनिर्दिष्ट गैर-पदेन सदस्य, ऐसे दैनिक/यात्रा भत्ता के पात्र होंगे जैसा कि राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए सदस्यों को अनुज्ञेय है।
- (8) कोई व्यक्ति समिति का सदस्य नहीं हो सकता यदि—
 - (क) उसे ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ; या
 - (ख) दिवालिया हो अथवा किसी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया हो।

59. राज्य निधि का उपयोग.—

- (1) राज्य निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, अर्थात् :—
 - (क) उन क्षेत्रों में वित्तीय सहायता जो राज्य सरकार की किसी भी योजना या कार्यक्रम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट रूप से शामिल नहीं हो;
 - (ख) प्रशासनिक एवं अन्य व्यय जैसा कि अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपगत किया जाना अपेक्षित हो ; और

- (ग) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जैसे कि समिति द्वारा विनिश्चित किए जाएं ;
- (2) व्यय के प्रत्येक प्रस्ताव को उसके अनुमोदन के लिए समिति के समक्ष रखा जाएगा।
- (3) समिति ऐसे निबंधनों और शर्तों के साथ लेखापाल सहित सचिवालयीन कर्मचारिवृंद की नियुक्त कर सकेगी जैसी कि राज्य निधि के प्रबंधन और उपयोग की देखभाल करने के लिए उसे समीचीन प्रतीत हो।
- (4) राज्य निधि का उपयोग ऐसी रीति में किया जाएगा जैसी कि समिति उचित समझे।
60. **बजट.**— राज्य निधि की समिति का सदस्य सचिव प्रत्येक वर्ष जनवरी में निधि की अनुमानित प्राप्ति और व्यय दर्शाते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष निधि के अंतर्गत व्यय करने हेतु एक बजट तैयार करेगा/करवायेंगा और उस पर विचार किए जाने हेतु समिति के समक्ष रखेगा।
61. **वार्षिक रिपोर्ट.**— सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा अपने वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन में राज्य निधि पर एक अध्याय सम्मिलित किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक शाह, प्रमुख सचिव.

No. F-3-38-2017-XXVI.—

Bhopal, the 25th January 2018

in exercise of the powers conferred by Section 101 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (No. 49 of 2016), the State Government, hereby makes the following rules which have been previously published as required by sub-section (1) of Section 101 of the said Act in the Madhya Pradesh Gazette part dated namely:-

RULES

1. Short Title extent and commencement.-

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017.
- (2) They shall extend to the whole of Madhya Pradesh.
- (3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.-

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act means the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (No. 49 of 2016);
 - (b) "Benchmark Disabilities" means a person with forty percent or more disability;
 - (c) "Certificate of Registration" means a certificate of registration issued by the competent authority under section 51 of the Act;
 - (d) "Commissioner" means Certifying authority under section 57 of the act;
 - (e) "Disability Certificate" means a certificate of disability issued by certifying authority under section 57 of the Act;
 - (f) "Form" means a form appended to these rules;

(g) "Section" means the section of the Act.

Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

State Committee for Research on Disability.-

The State Government shall constitute a State Committee for Research on Disability. The committee shall consist of the following persons, namely:-

- | | | | |
|--------|---|---|-------------|
| (i) | An eminent person having vast experience in the field of science, medicine and medical research to be nominated by the State Government | - | Chairperson |
| (ii) | Commissioner, Medical Education | - | Member |
| (iii) | Commissioner, Public Health and Family Welfare Department | - | Member |
| (iv) | Commissioner/Director Ayurvedic Homeopathy and Unani Medicine, | - | Member |
| (v) | Commissioner, Women and Child welfare Department | - | Member |
| (vi) | Three representatives of the National or Regional Registered Organizations or educational institution representing any of the five groups of specified disabilities in the schedule to the Act who are working in the field of disability : | - | Member |
| | Provided that at least one representative shall be woman. | | |
| (vii) | Two disabled persons to be nominated by the State Government | - | Member |
| (viii) | Commissioner, Social Justice and Disabled Persons Welfare. | - | Member |

(ix) Joint Director, Social Justice and Disabled Persons Welfare . - Member-Secretary

- (2) The chairperson may invite any subject expert as a special invitee in the meeting of the committee.
- (3) The terms of the nominated members shall be for a maximum period of three years from the date on which they enter upon their office, but they may be nominated for one more term.
- (4) At least one half of the total members shall form the quorum for any meeting.
- (5) The non-official members and special invitee shall be entitled for such travelling allowance and daily allowance as admissible to Class-I officer of the State Government .
- (6) The State Government may provide the committee clerical and other staff.

4. Person with disability not to be subject of research.-

No person with disability shall be a subject of research except when the research involves physical or mental impact on his body;

5. Protection of persons with disability from abuse, violence, exploitation and disaster.-

- (1) If any person with disability is found victim of abuse, violence, or exploitation, the State Government shall provide facilities of security and rehabilitation through Government / non Government institutions.
- (2) The State Government and District Disaster Management Authority shall be responsible for the protection and safety of persons with disability at the time of disaster.

6. Legal Assistance and limited guardianship to persons with disability.-

- (1) Persons with disability who are not living with family and requiring support for exercising legal rights, the Collector shall provide Legal Assistance through District Legal Aid officer.
- (2) The Collector shall be the competent authority for granting limited guardianship to such persons with disability who are in need of taking decision in the cases of legal binding.

- (3) The competent authority shall ensure that guardianship is needed to the persons with disabilities who are unable to take decision on legal basis.
- (4) The Collector shall, sou-motu or after receiving application, take action immediately:
 Provided that the consent of the person, who agree to act as a limited guardian, shall also be obtained before grant of such limited guardianship. The period for limited guardianship shall be determined by the Collector according to the need.
- (5) In case of disabled woman, the limited guardian shall be a woman.
- (6) The limited guardian appointed under sub-rule (1) shall consult the person with disabilities in all matters before taking any decision of legal action in this behalf.
- (7) The limited guardian shall ensure that the decision of legal action taken on behalf of the person with disability is in the interest of the disabled person.

7. Social Awareness.-

The State Government shall designate nodal officer to mobilize the community and create social awareness for persons with disabilities.

8. Inclusive education for persons with disabilities.-

- (1) The State Government shall ensure that any disabled student is not debarred for taking admission in the Government /non Government recognized educational institutions. If it is found than the State Government may cancel the recognition of the concern educational institution. The State Government may authorize the district education officer for ensuring the compliance by issuing appropriate instruction. The inclusive education shall have to be provided children with disability for the purpose of Section 18 of the Nishulk Avm Bal Shiksha Ka Adhikar Adhiniyam, 2009 (No. 35 of 2009).
- (2) The district education officer shall ensure that the building of every recognized Government /Non Government educational institution is barrier free for children with disability. If any building of educational institution is found non accessible for the children with disability, the district education officer shall, by giving opportunities, issue one month notice to the concern institution for making the barrier free access and if the work is not executed with the time limit, the district education

officer shall recommend to the State Government for canceling the recognition of that institution.

- (3) All educational institutions shall ensure the availability of adequate number of trained teachers for the education of children with disability.

9. Manner of publication of equal opportunity policy.-

- (1) Every establishment shall publish equal opportunity policy for persons with disabilities.
- (2) The establishment shall display the framed policy preferably on its website if there is no website, then it shall be displayed at conspicuous place in the premises.
- (3) The equal opportunity policy of a private establishment and Government establishment having twenty or more employees shall inter alia contain the following provisions, namely:-
- (a) Facility and amenity to be provided to the persons with disabilities which may enable them to effectively discharge their duties in the establishment;
- (b) List of posts identified suitable for persons with disabilities in the establishment;
- (c) The manner of selection of persons with disabilities for various posts after recruitment and before promotion, training shall be given and preference shall be given in transfer, posting, special leave and in allotment of residential accommodation and other facilities.
- (d) Provision for assistive devices, barrier free access and other provisions for persons with disabilities.
- (e) Liaison officer to be appointed by establishment to look after the recruited persons with disabilities and who will check the facilities and amenities provided for such employees.
- (4) The equal opportunity policy of the private establishment having less than twenty employees shall also contain facilities and amenities to be

provided to the persons with disabilities to enable them to effectively discharge their duties in the establishment.

10. Manner of maintaining records by establishment.-

- (1) Every establishment shall maintain records in hard and soft copies which includes records maintained in the form of register or stored in a computer or tabs, or in any other electronic form or any written information or transcribes in ordinary or machine language and such other documents which may be useful for the purposes of these rules.
- (2) The records shall contain the following particulars, namely:-
 - (a) Number of persons with disabilities who are employed and date of their appointment.
 - (b) The name, gender and address.
 - (c) Nature of disability.
 - (d) The nature of work which is being performed by such person with disability, and
 - (e) The details of facilities which is being provided to such persons with disabilities.
- (3) Every establishment shall produce for inspection the records maintained under these rules on demand to the authorities under the Act and shall supply such information which may be required for the purpose of ascertaining whether the provisions are being complied with or not.
- (4) Every establishment shall verify the record as required by the authorized person.

11. Manner of maintenance of Register of complaints by the Government establishment.-

- (1) Every Government establishment shall appoint an officer not below the rank of Gazetted officer as grievance Redressal officer:

Provided that where it is not possible to appoint any Gazetted Officer, the Government establishment may appoint the senior most officer as Grievance Redressal Officer.

- (2) The Grievance Redressal officer shall maintain a register of complaints and specifically maintain a soft copy for this purpose and each complaint shall be entered in a separate page of the register.
- (3) The Grievance Redressal Officer shall mention the following particulars in the register, namely:-
 - (a) Date of lodging complaint;
 - (b) Name of Complainant;
 - (c) Name of person enquiring the complaint;
 - (d) Place of incident;
 - (e) The name of the establishment or person against whom the complaint has been lodged;
 - (f) Gist of complaint;
 - (g) Any additional information;
 - (h) Documentary evidence if any;
 - (i) Date of disposal of the complaint by the Grievance Redressal Officer;
 - (j) Details of disposal of appeal by the constituted District level committee on disability; and
 - (k) Any other information.

12. Reservation for employment.-

- (1) There shall be 6 percent reservation for employment to the persons with disabilities in each Government establishment. The reservation shall be for the following categories, namely :-
 - (a) Blindness and low vision.
 - (b) Deaf and Hard of hearing.
 - (c) Locomotion disability including cerebral palsy, leprosy cured dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy.
 - (d) autism intellectual disability, specific learning disability and mental illness.

(e) multiple disabilities from amongst persons under clause (a) to (d) including deaf-blindness in the post identified for each disabilities.

(2) The General Administration Department of the State Government shall issue detail instruction to all departments for taking necessary action in this respect.

13. Computation of vacancies.-

(1) For the purpose of computation of vacancies, six percent of the total number of vacancies shall be taken into account by the State Government for the persons with benchmark disabilities:

(2) The benchmark disability is as under according to the provisions of section 34 of the Act:-

(a) Blindness and low vision;

(b) Deaf and hard of hearing;

(c) Locomotors disability, including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy;

(d) Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness.

(e) Multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness in the post, identified for each disabilities.

(3) Every Government establishment shall maintain a vacancy based roster for the purpose of calculation of vacancies for persons with benchmark disabilities in the cadre strength as per the instructions issued by the State Government from time to time.

(4) While issuing advertisement to fill up vacancies, every Government establishment shall indicate the number of reserved vacancies for each class of persons with benchmark disabilities in accordance with the provisions of section 34 of the Act.

(5) The reservation for persons with disabilities shall be horizontal in accordance with the provisions of section 34 of the Act and the vacancies for persons with benchmark disabilities shall be maintained as a separate class.

- (6) The General Administration Department of the State Government shall issue detail instruction to all departments for taking necessary action in this respect.

14. Interchange of vacancies.-

The Government establishment shall interchange vacancies in accordance with the provisions of section 34 of the Act only if due to recruitment by publishing the advertisement to fill up the vacancies reserved for persons with benchmark disabilities has been complied with and after following the recruitment process no proper applicant is available.

15. Submission of Returns.-

- (1) Every Government establishment shall furnish to the local special employment exchange returns in Form-I (Persons with Disabilities Employer's Return) once in every six months and in Form-II once in every two years.
- (2) The Return shall be furnished within thirty days of the respective date which is 31st March and 30th September of every financial year.
- (3) The two yearly return shall be furnished within thirty days of the closing of every alternative financial year:

Provided that the first two yearly return shall be furnished for the financial year 2017 closing on 31st March 2019.

16. Form in which record to be kept by an employer.-

Every employer of Government establishment shall maintain the record of employees with disabilities in Form (PDER)-III.

17. Committee for identification of posts.-

An expert committee to identify the posts for persons with disabilities and to solve relevant complaint shall be constituted by the General Administration Department. The committee shall consist of the following persons, namely:-

- | | | | |
|-------|---|---|-------------|
| (i) | Additional Chief Secretary/Principal Secretary, General Administration Department | - | Chairperson |
| (ii) | Principal Secretary, Finance Department | - | Member |
| (iii) | Principal Secretary, Law and Legislative Affairs Department | - | Member |

- | | | |
|--|---|------------------|
| (iv) Principal Secretary, Social Justice and
Disabled Welfare | - | Member |
| (v) Commissioner, Social Justice and
Disabled Welfare | - | Member-Secretary |

18. Incentive to employers in private sector.-

The State Government shall issue instructions to provide incentives to employers in private sector who has employed at least 5 percent of total persons with disabilities .

19. Special employment exchange.-

Every establishment shall furnish, information and return relating to vacancies and appointment made of persons with disabilities to the special employment exchange. The General Administration Department shall issue detail instructions to all departments in this respect.

20. Rules for accessibility.-

(1) Department of Urban Administration, Panchyat and Rural Development, Railway and Public Works Department shall make the following provisions to ensure accessibility of the roads and buildings under their jurisdiction, other concerned departments using the infrastructure shall also be responsible;

(A) Road

- (i) To exhibit on the road a hearing sign on red-light square for deaf and dumb and for blindness persons with disabilities exhibit necessary sign.
- (ii) to make slope on the steps for persons with disabilities using wheel-chair.
- (iii) to engrave the surface of the zebra-crossing for the persons with blindness or low vision.
- (iv) to engrave the side of railway platform for persons with blindness and low vision.
- (v) to develop the proper signs for disabled.
- (vi) to display warning signs on appropriate places.

(B) In constructed buildings:-

- (i) to make ramp in public buildings;

- (ii) to make comfortable toilets for the persons with disabilities;
- (iii) to provide brail/signs and hearing signs in the lift;
- (iv) to make ramp in hospital primary health centers, places for medical treatment and rehabilitation;
- (v) to make barrier free access for persons with disability in the Government offices.

21. Access to information and technology.-

The State Government shall take action for access to Electronic Media by providing Audio description to persons with disability in consultation with the Information and Technology Department.

22. Recognition of non-Government Institutions.-

- (1) For the purpose of sub-section (1) of section 51 of the Act, the officer nominated, by the Commissioner/Director, Social Justice and Disabled Welfare shall be the authorised officer for the purpose of registration of the institution to be established under section 50 of the Act.
- (2) The concerned non-Governmental institution shall apply in Form-A to the Joint/Deputy Director Social Justice and Disabled Welfare of the concerned district.
- (3) The following documents shall be attached with the application:-
 - (i) documentary evidence of work in the area of disability.
 - (ii) the constitution or bye-laws or regulations governing the institutions;
 - (iii) Last three years Annual Report, Audit Report of Chartered Accountant, Annual grants received in last 3 years.
 - (iv) The information regarding names and their educational qualification and total number of persons employed in the institution along with their respective duties and honorarium is being paid;

- (v) The information regarding the number of experts, their names and their educational qualifications, employed in the institution;
 - (vi) The information regarding the proof of residence, of the applicant, their E-mail, telephone and mobile number and website.
- 1) Every institution who has made application under sub-rule (1) above shall fulfill the following requirement in respect of the institution:-
- (a) that the institution has been working in the field of rehabilitation of persons with disabilities for more than three years immediately before the date on which application has been made;
 - (b) that the institution is registered under the Indian Societies Registration Act, 1860 (No. 21 of 1860) or under any other law for the time being in force in the State and a copy of such registration certificate along with the bye-law and memorandum of association of the society shall be submitted with the application;
 - (c) that the institution is not being running for the profit of any individual or a body of individuals;
 - (d) that the institution has employed professionals registered with the Rehabilitation Council of India to cater and fulfill the special needs of children with disabilities;
 - (e) that the institution has adequate teaching and learning materials for the persons with disabilities;
 - (f) that the institution has submitted its audited accounts and annual report of last three years to the competent authority.
- 5) On receipt of the application, the Joint/Deputy Director, Social Justice and Disabled Welfare on receipt of the application, shall enquire and inspect the activities of the institution within 30 days and shall prepare a the detailed inspection report and thereafter submit the proposal to

the authorised officer with the recommendation of the Collector of the concerned district.

- (6) On receipt of the application, the competent authority after inquiry and satisfaction shall issue the Registration Certificate under the provisions of section 50 of the Act.
- (7) The Registration Certificate shall be valid for three years from the date of issue, but the voluntary institution shall submit the report of working done during every year to the competent authority.
- (8) The institution shall have to apply for renewal of the registration certificate before 60 days of the expiry of the registration.

23. Refusal to issue Registration Certificate.-

The competent authority may by order refuse to give certificate after giving reasonable opportunity of being heard to the applicant. Such order shall contain specific reasons for refusal to give such certificate and the applicant shall be informed accordingly by registered post.

24. Validity of Registration Certificate.-

The registration certificate issued under section 50 of the Act shall be valid for the period of 3 years unless it is revoked under section 52 of the Act.

25. Appeal against the order of competent authority.-

Any person aggrieved by the order of competent authority refusing to give the certificate or revoking the registration, may prefer an appeal within the period of 30 days against the order of refusal or revocation of registration, to the Principal Secretary, Social Justice and Disabled Welfare;

26. Certifying Authority to issue disability certificate.-

- (1) The Medical Officer in-charge of the Government Hospitals shall be the Authorised officer to issue the disability certificate. The Chief Medical and Health Officer / Civil surgeon of the concerned district shall appoint authorised officers for all hospitals separately under their jurisdiction.
- (2) The Public health and Family Welfare Department of the State Government shall issue detailed instructions in this regard.

27. Application for certificate of disability.-

- (1) Any person with specified disability may apply for a certificate of disability and the application shall be submitted to the following:-
 - (a) to any medical authority or any other notified competent authority shall issue such a certificate in the district of residence

of the applicant as mentioned as the proof of residence in the application or any authority as mentioned the Schedule - I.

- (b) to the concerned medical authority in a Government hospital where he may be undergoing or may have undergone treatment in connection with his disability:

Provided that where a persons with disability is a minor are suffering from intellectual disability or any other disability which renders him unfit or unable to make such an application himself, the application on his behalf may be made by his legal guardian or by any organisation registered under the Act having the disabled minor under its care.

- (2) The following documents shall be attached with the application:-
- (a) Proof of residence;
- (b) Two recent passport size photographs; and
- (c) Aadhaar Number or Aadhaar Enrollment, if any.

28. Issuance of Disability Certificate.-

- (1) On receipt of an application the medical authority or any other notified competent authority, shall verify the information provided by the applicant and shall assess the disability in terms of the relevant guidelines issued by the Central Government and after satisfying himself that the applicant is a person with disability shall issue a certificate of disability in his favour in the prescribed form.
- (2) The medical authority shall issue the certificate of disability within one month from the date of receipt of the application.
- (3) The medical authority after due examination shall:-
- (a) issue a permanent certificate of disability in cases where there are no chances of variation of disability over time in the degree of disability, or
- (b) issue a temporary certificate of disability in cases where there is any chance of variation over time in the degree of disability and indicate the period of validity.
- (4) If any applicant is found ineligible for issuing him the certificate of disability, the medical authority shall inform the reasons in writing to

him within a period of one month from the date of receipt of the application.

29. Certificate issued to be generally valid for all purposes.-

A person to whom a certificate of disability is issued shall be entitled to apply for facilities, concessions and benefits admissible for persons with disabilities under schemes of the Government and of non-Government organization funded by the Government. Such person shall be able to apply under such conditions which are specified in the appropriate schemes made by the Government or specified by instructions.

30. Appeal.-

Any person aggrieved with the decision of the authority, may within ninety days prefer an appeal to the Chief Medical and Health Officer.

31. State Advisory Board.-

(1) The State advisory Board shall be constituted in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 66 of the Act, as under :-

- | | | |
|-------|---|--------------------|
| (i) | Minister, Government of Madhya Pradesh, Social Justice and Disabled Welfare Department | - Chairperson |
| (ii) | State Minister, Government of Madhya Pradesh, Social Justice and Disabled Welfare Department | - Vice-Chairperson |
| (iii) | Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Government of Madhya Pradesh, Social Justice and Disabled welfare, Education, Higher Education, Women and Child Development, Finance, Public Health and Family Welfare, Panchayat and rural Development, Labour, Industry, Employment, Urban Development, Information and Technology, Sport and Youth Welfare, Transport, Public Works, Technical Education Departments | Member |

- (iv) Three Members of the State Legislature - Member
 our of which at least two shall be women
- (v) The following category of members shall - Member
 be nominated by the State Government
 shall nominate following member of
 different category
- Five experts expert from
 Disability and rehabilitation field
 - Five Members working in the field
 of Disability and rehabilitation.
 - Ten Disabled having special
 Achievement, out of which at
 least five shall be women
 - Three representative from the
 State Chamber of Commerce
 Industry
- (vi) Commissioner/Director, Social Justice - Member-
 and Disabled welfare Secretary
- (2) The procedure for nominating five members under sub-clause (ii) of
 Clause (e) sub-section (2) of Section 66 of the Act by rotation from the
 districts shall be as under-
- (i) the nomination shall be made on the basis of population of
 disabled persons of the district in descending order.
- (ii) five districts shall be selected where the population of the
 disabled persons is more and five members shall, in the first
 instance be nominated, who shall represent the district in the
 Board. After every 3 years other district of maximum population
 of disabled persons shall be selected. The procedure of
 nomination shall continue till the representation of all districts is
 not completed.

- (iii) the term of members representing the above districts shall be three years.
- (iv) the selection of members shall be made on the recommendation of the collector of the concerned district.

32. Terms and Conditions of Members.-

- (1) The term of office of the member of State Advisory Board shall be for a period of three years from the date of nomination.
- (2) The State Government, may if thinks fit remove any nominated member before the expiry of his term after giving him a reasonable opportunity of showing cause against him.
- (3) A member nominated may, at any time resign his office by writing under his hand addressed to State Government .
- (4) The casual vacancy in the State advisory board shall be filled by a fresh nominated member and the person nominated to fill the vacancy shall hold office only for the remainder of the term for which the member in whose place he was so nominated.

33. Allowances to the members.-

- (1) The non-official member of the State Advisory Board shall be paid an allowance of rupees one thousand for each day of the actual meetings.
- (2) The non-official members of the State advisory board not residing in Bhopal shall be paid the actual travelling allowance or the actual fare which shall not be more than the fair of second AC train.

34. Disqualifications.-

- (1) No person shall be a member of the State Advisory Board, who -
 - (a) is or at any time has been adjudged insolvent by competent court or has suspended payment of his debt or has compounded with his creditors, or
 - (b) is of unsound mind and stands so declared by competent court, or
 - (c) is or has been, convicted of an offence, which in the opinion of the State Government involves moral turpitude, or

- (d) is or at any time has been convicted of an offence under the Act,
or
 - (e) has so abused, in the opinion of the State Government, his position as a member as to render his continuance in the State Advisory Board detrimental to the interests of the general public.
- (2) No order of removal shall be made by the State Government under this rule unless the member concerned has been given a reasonable opportunity of showing cause against the same.
- (3) A member who has been removed under this rule shall not be eligible for re-nomination as a member.

35. Notice of Meetings.-

- (1) The meetings of the State Advisory Board shall ordinarily be held in the State Head quarter on such date and time as may be fixed by the Chairperson.
- (2) The meeting of the Board shall be held at least once in every six months. The Chairperson of the Board shall, on the written request of not less than 10 members of the Board call a special meeting of the Board.
- (3) The member secretary of the Board shall give seven days notice before the meeting specifying the place, time, date at which such meeting is to be held and the business to be transacted thereat.
- (4) The Chairperson of the State Advisory may adjourn the meeting on unavoidable reason.

36 Quorum.-

- (1) Minimum one-third of the total members of the Board shall form the quorum for any meeting.
- (2) If at the time fixed for any meeting or during the course of any meeting less than one-third of the total number of members are present, the chairperson thereof may adjourn the meeting to such hours on the following or on some other date as he may fix.
- (3) No quorum shall be necessary for adjourn the meeting of the Board.

37. Minutes of the Meeting.-

- (1) The Member-Secretary shall keep the minute book of the meeting in which names of all members of the board and their signature who had

attended the meeting and details of proceedings of the meeting shall also be maintained.

- (2) The minutes of the previous meeting of the Board at the beginning of every succeeding meeting and shall be confirmed and signed by the presiding officer of such meeting.

38. Business to transacted at meeting.-

- (1) Save with the permission of the presiding officer, no business which is not included in the agenda or of which notice has not been given by a member shall be transacted at any meeting.
- (2) At any Meeting of the board business shall be transacted in the order in which it is included in the agenda unless otherwise resolved in the meeting with the permission of the presiding officer.

39. Decision by majority.-

All questions considered at a meeting of the Board shall be decided by a majority of votes of the members of the Board present over voting and in the event of equality of votes, the Chairperson of the Board or in the absence of the chairperson, the Vice-Chairperson of the Board or in the absence of both, the member presiding at the meeting, as the case may be, shall have a second or casting vote.

40. No proceeding to be invalid due to any defect in constitution of Board.-

No proceeding of the Board shall be invalid merely by reason of existence of any vacancy in or any defect in the constitution of the Board.

41. Functions of the State Advisory Board.-

The State Advisory Board shall function as under -

- (i) To advice the State Government for the implementation of, programs, scheme and deciding the Policy for persons with disability.
- (ii) To develop a State policy for persons with disability.
- (iii) To monitor and coordinate with various departments for the action related to persons with disability.
- (iv) To prepare new programs for persons with disability.

- (v) To take action regarding barrier free environment, accommodation, equality for the persons with disability.
- (vi) Evaluation of policies, schemes and programs.
- (vii) Any other matter, if necessary.

42. District Level Committee.-

The District Level Committee shall be constituted as under,-

- | | | | |
|--------|---|---|------------------|
| (i) | Collector of the concerned District | - | Chairperson |
| (ii) | Chief Executive Officer, Zila Panchayat | - | Member |
| (iii) | Civil Surgeon/ Chief Medical and Health Officer | - | Member |
| (iv) | District Education Officer / District Project Co-ordinator | - | Member |
| (v) | General Manager Industries | - | Member |
| (vi) | Project Officer Urban Development | - | Member |
| (vii) | The District Employment Officer | - | Member |
| (viii) | District Programme Officer Woman and Child Development Officer | - | Member |
| (ix) | Two representatives of voluntary organisation concerned with the welfare of disabled person | - | Member |
| (x) | Representative of District Rehabilitation Centre for disabled | - | Member |
| (xi) | Two such emeritus persons with disability who have obtained specific achievement in any field | - | Member |
| (xii) | Joint/Deputy Director Social Justice and Disabled Welfare | - | Member-Secretary |
- (2) The District Level Committee shall solve the problems facing by the disabled persons and take action for entire rehabilitation in co-ordination with all departments of Government /non-Government organisations and shall monitor and evaluate the action taken.

43. Functions of the District Level Committee.-

The District Level Committee shall function as under-

- (i) To approve the annual scheme of disabled welfare of the districts.
- (ii) To update information regarding persons with disability on samagra portal.
- (iii) To review the udid card issued to persons with disability in the district.
- (iv) To review the beneficiaries under the various schemes related to persons with disability.
- (v) To ensure appointment of persons with disability in government service in accordance with the reservation.
- (vi) To upload the facilities provided to the persons with disability on sparsh samagra portal.
- (vii) To review the functioning of non governmental institutions working in the field of disable welfare in the district.
- (viii) Quarterly review the activities of various departments related to this Act.
- (ix) To review the progress of education of disabled students and to solve their problems;
- (x) To review the annual work plan of district disabled rehabilitation centre;
- (xi) To review and resolve the problem to create barrier free atmosphere in time limit.
- (xii) To review early identification, intervention and treatment.
- (xiii) To review the utilization of budget allotted for the persons with disability and to review audit.
- (xiv) To review the work entrusted from time to time by the State Government .

44. Commissioner, for Persons with Disability.-

The State Government shall appoint a Commissioner, disability for persons with disability.

45. Qualifications for appointment of Commissioner, disability.-

A person shall be qualified to be appointed as a Commissioner, Disability if -

- (a) he has special knowledge or practical experience in relating to rehabilitation of persons with disabilities;
- (b) he has not attained the age of sixty-two years on the 1st January of the year in which the last date for receipt of applications as specified in the advertisement inviting applications for appointment of the Commissioner, disability occurs;
- (c) he is in service under the Central Government or a State Government, he shall seek retirement from such service before his appointment to the post,
- (d) a retired officer of Indian Administrative Service, of Central Government and Civil Service of State Government who has the ability of policy determination and experience of administration in the field of disability.
- (e) he possesses the following educational qualification and experience, namely:-
 - (a) Educational Qualifications -
 - (i) Essential - Graduate from a recognised university.
 - (ii) Desirable - Recognised degree or diploma in social work or law or management or human rights or rehabilitation or education of disabled person;
 - (b) Experience -

At least eighteen years experience in the field of Social Work or Rehabilitation or empowerment of Persons with Disability-

 - (i) work experience in the Central Government or State Government, or
 - (ii) public sector undertakings on semi Government or autonomous bodies dealing with disability related matters or social sector, or
 - (iii) works in the capacity of a senior level functionary in a State or national or international organisation

registered and working in the field of disability or social developments:

Provided that out of the total eighteen years experience in this sub-clause, at least three years experience in the recent past had been in the field of rehabilitation or empowerment of persons with disabilities.

46. Disqualifications for Commissioner, disability.-

Any such person shall not be eligible for the post of commissioner, disabled person if he is -

- (a) a bankrupt or at any time he has been declared as benchmark, or
- (b) a person of unsound mind and the same has been declared by the competent court, or
- (c) a person, who in the opinion of the State Government has been declared accused for any crime against the moral values, or
- (d) a person who has been found accused for any crime or declared accused, or
- (e) a person who has misused the power and was found accused and in the opinion of the Government as a State Commissioner, disability his service may be contrary to the public interest, or
- (f) a person who has completed two tenures as commissioner, disability.

47. Term of commissioner, disability.-

The term of office of the commissioner, disability shall be three year

48. Headquarter of the Commissioner, disability.-

The headquarter of the Commissioner, disability shall be at Bhopal.

49. Pay, Allowances and other facilities to commissioner, disability.-

- (1) The Commissioner, disability shall be entitled to such pay, allowances and other facilities as is entitled to Secretary of the State Government .
- (2) Where the Commissioner disabled persons is retired person from Government service, he shall be eligible for last pay drawn minus pension at the time of retirement as remuneration.

50. Procedure of appointment of commissioner, disability.-

- (1) The State Government shall constitute a search committee to propose a panel from the applications received for selection of Commissioner,

disability. The search committee shall consist of the following members, namely:-

- (a) An officer of the rank of Additional. Chief Secretary to be nominated by the Chief Secretary - Chairperson
- (b) The Principal Secretary, General Administration Department - Member
- (c) The Principal Secretary/Secretary Social Justice and Disability Welfare Department - Member
- (d) The Commissioner/Director Social Justice and disability welfare . - Member-Secretary

(2) The procedure of selection of Commissioner disability shall be as follows:-

- (a) The Commissioner/Director Social Justice and disability Welfare shall issue an advertisement inviting the applications for appointment on the post of Commissioner, disability. The advertisement shall be published in two daily newspapers of National and State Level of which at least one should be published in English newspaper.
- (b) the application received shall be placed before the search committee constituted by the State Government.
- (c) The State Government shall appoint Commissioner, disability on the recommendation of search committee and no appeal shall be entertained in this case.
- (d) The proceedings of the meeting of search committee shall be confidential and no correspondence shall be entertained in this respect.
- (e) If the State Government do not found suitable person for the post of Commissioner, disability then the selection procedure shall be again repeated.

51. Resignation and removal from the post.-

- (1) The commissioner, disability may, by letter resign his office by writing under his hand addressed to the State Government

- (2) The State Government may at any time remove the State Commissioner, disability if he -
- (a) becomes an undischarged insolvent, or
 - (b) On receipt of his any complaint is found him guilty after inquiry, or
 - (c) does not submit the report in time or he is late submitting the report or the State Government is of opinion that he is not discharging the duties properly or he is committing mistakes, in discharging the duties.
 - (d) any other reason, the State Government may think proper.

52. Competent Authority to remove the commissioner, disability.-

The State Government shall be competent authority for removing the Commissioner, disability from the post before the expiry of his term.

53. Vacant Post of commissioner, disability.-

In case the post of commissioner, disability is vacant, the Principal Secretary of Social Justice and Disabled Welfare shall be the in charge Commissioner, disability.

54. Staff for the office of commissioner, disability.-

- (1) The necessary staff shall be provided for the office of Commissioner, disability.
- (2) The staff shall be under the administrative control of the Commissioner, disability

55. Residuary Provision.-

The conditions of service of the commissioner, disability in respect of which no express provision has been made in section 79 of the Act, shall be determined by the rules and orders.

56. Submission of Annual Report

- (1) The Commissioner, disability shall, after the end of Financial Year, prepare and submit to the State Government an annual report giving a

correct and complete account of activities during the said financial year.

- (2) The annual report shall contain the information in respect of each of the following matters, namely:-
- (a) The names of officers and employees working in the office of the commissioner, disability and a chart showing the organizational set-up.
 - (b) The functions under section 75 and 76 of the Act which are empowered to be discharged by the Commissioner, disability and execution of the other important matters in this respect.
 - (c) The main recommendationS made by the Commissioner, disability
 - (d) The progress made in the State after implementation of the provisions of the Act.
 - (e) The information regarding any other subject included by the Commissioner, disability and subject specified by the State Government from time to time.

57. Appointment of Special Public Prosecutor.-

- (1) The special public prosecutor shall be appointed by the State Government for every special court as under -
- (a) who has practical experience of handling cases of persons with disabilities;
 - (b) who has experience of practicing in the court for not less than seven years,
 - (c) who has knowledge of local language and customs.
- (2) The special Public Prosecutor specified under section 85 of the Act shall be entitled to receive such fees or remuneration as is admissible to the Public Prosecutor appointed by the State Government under the Code of Criminal Procedure, 1973 (1 of 1974) for conducting the cases before the court of session.

58. Management of State Fund.-

- (1) There shall be constituted by the State Government a State Fund for welfare and rehabilitation of persons with disabilities and there shall be credited thereto -

- (a) all sums received by way of grant, gifts, donations, benefactions, bequests or transfers;
- (b) all sums received from the State Government including grant-in-aid,
- (c) all sums from such other sources as may be decided by the State Government
- (2) The account and records of the State Fund shall be kept properly in which the Statement of income and expenditure shall have to be included.
- (3) The Accounts of the State Fund shall be audited by the Chartered Accountant every year.
- (4) There shall be a following Committee for management of State Fund :-
- | | | | |
|-------|---|---|------------------|
| (i) | Principal Secretary/Secretary , Social Justice and Disable Persons | - | Chairperson |
| (ii) | Principal secretaries ;- Finance, Public Health, Education. Technical Education, Higher Education, Labour, Industries, Urban Administration, Woman and Child Development, Panchayat and Rural Development | - | Member |
| (iii) | Two persons/institutions representing different types of disabilities who are nominated in the State Level Advisory Board by rotation | - | Member |
| (iv) | State Nodal Agency institution of National Trust | - | Member |
| (v) | Commissioner/Director Social Justice and disability Welfare | - | Member-Secretary |

- (5) The committee shall from time to time, meet as often as necessary but at least once in every six months the meeting shall be compulsory.
- (6) No member of the committee shall be a beneficiary of the Fund during the period such member holds office.
- (7) The nominated non-official members shall be eligible to receive such travelling and daily allowance as admissible to the members for attending the meetings of State advisory board.
- (8) No member may be a member of the committee if he -
 - (a) is or has been convicted of an offence which in the opinion of the State Government involves moral turpitude, or
 - (b) is, or at any time, has been declared adjudicated as an insolvent

59. Utilization of State Fund.-

- (1) The State fund shall be utilized for the following purposes, namely:-
 - (a) Financial Assistance in the areas which are not specifically covered under any scheme and programme of the State Government .
 - (b) Administrative and other expenses as may be required to be incurred for the purposes under the Act, and
 - (c) for such other purposes as may be decided by the committee.
- (2) Every proposal of expenditure shall be placed before the committee for its approval.
- (3) The Committee may appoint secretarial staff including accountants with such terms and conditions as it may think appropriate to look after the management and utilization of the State Fund.
- (4) The State Fund shall be utilized in such manner as the committee may think appropriate.

60. Budget.-

The Member-Secretary of the committee of state fund shall prepare or cause to be prepared the Budget for incurring expenditure from the State Fund during the financial year showing the estimated receipt and expenditure in January every year. The Budget prepared shall be placed before the Committee for consideration

61. Annual Report.-

The Social Justice and disabilities Welfare Department shall include a chapter on the State Fund in its Administrative Annual Report.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK SHAH, Principal Secy.